न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी

न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प माधोराजपुरा

मु० न० 54/2017

निर्णय दिनांक 16.5.2017

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार बनाम कुसुम कंवर वगै०

(प्रावधान अन्तर्गत धारा 131 LRA Act)

पत्रावली न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 कैम्प कोर्ट माधोराजपुरा पर पेश हुई। तहसीलदार फागी द्वारा ग्राम माधोराजपुरा के ख० न० $\frac{839}{4}$, $\frac{835}{2}$ रकबा क्रमशः 0.02, 0.02 बीघा भूमि को आवेदकगण द्वारा विभाजन पत्र में आपकी सहमति से शामलात रास्ता रखा है। जो तदानुसार जमाबंदी में दर्ज है।

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नक्शा केस की प्रति के अवलोकन एवं अध्ययन करने के बाद प्रावधान 131 LR Act स्वीकार किया जाकर ख० न० $\frac{839}{4}$, $\frac{835}{2}$ रकबा क्रमशः 0.02, 0.02 बीघा भूमि ग्राम माधोराजपुरा त० फागी को ग्रा० मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि शामलात खातेदारी मे पूर्ववत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार फागी को रिकार्ड में अमल दरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।